

अहमकाम
में जारी हुए

नायब तहसीलदार / नायब तहसीलदार,
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 2119 / 200 ना.क.

अनवान
पटवार हल्का वामानिया बनाम श्री मुबारिक खां पिता श्री जबरी खां
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा जाति कापूर खान निवासी भीलपुर
(अप्रार्थी)

(प्रार्थी)
कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय दिनांक 2/8/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-
ग्राम भीलपुर पटवार मण्डल वामानिया तहसील-बनेड़ा की
विस्तार/चरागाह आराजी नम्बर 39 में से रकबा 0.25 बीघा पर
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी / खरीफ सम्वत् 2026 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस निर्माण
साक्षी जलक काशत/अवैध कब्जा/ निर्माण साक्षी कर लेने पर पटवारी
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण
होना तथा जिस निर्माण साक्षी जलक काशत स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय विलानाम / चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काशत की हैं अतः प्रार्थी
को अतिक्रमी करार देते हुये मौके से बेदखल किये जाने एवं निर्माण साक्षी जस्तसरकार की जाकर निलाम किये जाने
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 0.20x50
का गुणा 107 रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Shm
नायब तहसीलदार
बनेड़ा जि भीलवाड़ा